

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अभिवेक गोयल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/6119

दायर दिनांक 14/3/19

उनवान

1. टोलीराम पिता लालु जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरु पिता दल्लीचन्द जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. बोटु पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. सुरजमल पिता रामचन्द्र जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. हजारी पिता मेघा जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. भैरु पिता मोडा जाति जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. छगन पिता उदयराम जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ हाल फतहनगर मावली।
7. गुलाब पिता मेघा जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ हाल फतहनगर मावली।
8. अमरचन्द पिता गंगाराम जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
9. मोहनीबाई पत्नी हुकमीचन्द जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
10. नारायण मुतबन्ना हुकमीचन्द जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
11. माधु पिता लालू जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
12. किशना पिता लालू जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
13. अमरचन्द पिता लालू जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
14. देवीलाल पिता लालू जाति जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 14/5/19

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पतथरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा निलोद पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर की खाता संख्या 456 में स्थित आराजी संख्या 76, 209 कुल किता 2 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ

अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा के पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैस-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा निलोद पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर की खाता संख्या 456 में स्थित आराजी संख्या 76, 209 कुल किता 2 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(अभिषेक प्रोयल)  
सहायक कलक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर